

कार्यालय :— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 368/दो-11-17/24

नर्मदापुरम, दिनांक 25/04/24

मैं रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :—

अ— पेज क्रमांक 4 द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (श्री अभिनव कुमार जैन) के समक्ष (पेज क्रमांक 5 पर) कॉलम 4 की कंडिका 18 के पश्चात कंडिका 19 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

19— तहसील नर्मदापुरम, माखननगर एवं डोलरिया के अपर सेशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण।

ब— पेज क्रमांक 7 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी (श्री हृषि भदौरिया) के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 13 के पश्चात कंडिका 13—अ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

13—(अ) तहसील इटारसी के अपर सेशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण।

स— पेज क्रमांक 11 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम ले न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी भालवा (श्रीमती तबस्सुम खान) के समक्ष (पेज क्रमांक 12 पर) कॉलम 4 की कंडिका 21 के पश्चात कंडिका 22 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

22— तहसील सिवनी भालवा के अपर सेशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण।

द— पेज क्रमांक 13 द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर (श्री सुरेश कुमार चौबे) के समक्ष (पेज क्रमांक 15 पर) कॉलम 4 की कंडिका 23 के पश्चात कंडिका 24 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

24— तहसील सोहागपुर के अपर सेशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण।

इ— पेज क्रमांक 16 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया (श्री कैलाश प्रसाद मरकाम) के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 15 के पश्चात कंडिका 15—अ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

15—अ — तहसील पिपरिया, बनखेड़ी एवं पचमढ़ी के अपर सेशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण।

फ- पेज क्रमांक 16 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया (श्री कैलाश प्रसाद मरकाम) के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 17 का विलोपित की जाकर कंडिका 19 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

19— लहसील पिपरिया एवं पचमढ़ी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता अथवा अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के प्रकरण।

ज- पेज क्रमांक 17 द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया (श्रीमती अर्चना रघुवंशी) के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 9 के पश्चात कंडिका 10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

10— तहसील बनखेड़ी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता अथवा अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार ले प्रकरण।


सही /—
(रामकुमार चौबे)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म०प्र०)

पृ० क. १८७ / सां०लि० / 2024

नर्मदापुरम, दिनांक 25/04/24

कार्यविभाजन पत्रक 2024 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :—

- 01— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
- 03— अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
- 04— प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
- 05— पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते — प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म०प्र०)